न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 194/2018
आर.सी.एम.एस. :: 2018/00235

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर		भैरूसिंह पुत्र भूरसिंह जाति रावत निवासी चावण्डिया खुर्द, पंचायत समिति सबलपुरा तहसील रायपुर जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी के ओर से सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 12/2/2020

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम चावण्डिया खुर्द, पटवार हल्का सबलपुरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 431 किस्म गै.मु. बाली में से ख.न. 431/580 रकबा 4.10 बीघा किस्म बा.अ. का किस्म परिवर्तन कर नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के आज अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम चावण्डिया खुर्द, पटवार हल्का सबलपुरा तहसील रायपुर जिला पाली के ख.न. 431 किस्म गै.मु. बाली में से 431/580 रकबा 4.10 बीघा किस्म बा.अ. किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी के नाम आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 10.05.1976 के द्वारा आवंटित की गई, जो गैर मुमकिन बाली दर्ज थी। जिसकी पालना में अप्रार्थी भैरूसिंह पुत्र भूरसिंह को जरिये नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 10.05.1976 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं इसके पश्चात अप्रार्थी को खातेदार दर्ज किया गया। उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 10.05.1976 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन बाली दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम चावण्डिया खुर्द, पटवार हल्का सबलपुरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 431 किस्म गै.मु. बाली से किस्म परिवर्तन कर ख.न. 431/580 रकबा 4.10 बीघा किस्म बा.अ. का अप्रार्थी भैरूसिंह को आवंटित की गई। जैर प्रार्थना पत्र आराजी पूर्व में गैर मुमकिन बाली दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थी भैरूसिंह पुत्र भूरसिंह को आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 10.05.1976 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 10.05.1976 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा भैरूसिंह को गैर खातेदार दर्ज किया गया, इसके पश्चात उसे खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन बाली दर्ज थी, जो पत्रावली संलग्न जमाबंदी संवत् 2029-2034 से स्पष्ट है तथा उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 10.05.1976 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी भैरूसिंह पुत्र भूरसिंह रावत निवासी चावण्डिया खुर्द पंचायत समिति सबलपुरा तहसील रायपुर पाली (राज.) के पक्ष में आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 10.05.1976 के द्वारा किया गया आवंटन एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 10.05.1976 को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी पुनः गैर मुमकीन बाली दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर, पाली